निविदा प्रपत्र

छत्तीसगढ़ के कृषकों द्वारा उत्पादित धान के उपार्जन एवं विकेन्द्रीकृत योजना चावल उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूर्ति हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 हेतु कुल राशि ₹ 13,000.00 करोड़ (अक्षरी – तेरह हजार करोड़ मात्र) की साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण सुविधा के प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित शेड्यूल्ड कामर्शियल बैंकों की सूची 'A' एवं 'B' तथा वित्तीय संस्थाओं से निम्नानुसार शर्तों के अंतर्गत आमंत्रित किया जाता है :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, रायपुर को अनुमानित राशि ₹ 13,000.00 करोड़ (अक्षरी– तेरह हजार करोड़ रूपये मात्र) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। उपरोक्तानुसार स्वीकृत राशि में से नवम्बर, 2018 तथा इसके पश्चात् आवश्यकता अनुसार किश्तों में राशि आहरित की जा सकेगी।

2 छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ हेतु न्यूनतम प्रस्ताव राशि ₹ 200.00 करोड़ (अक्षरी– दो सौ करोड़ मात्र) का होगा।

3. प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना होगा कि वर्तमान में स्वीकृत साख सीमा/अल्पकालीन ऋण/पूंजी ऋण का उपयोग खरीफ वर्ष 2018–19 के लिये किया जा सकेगा अथवा नहीं तथा यदि वर्तमान साख सीमा के अतिरिक्त प्रस्ताव दिया जाना है, तो तदानुसार उल्लेख किया जावे।

4. साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण की सिक्योरिटी विपणन संघ हेतु उपार्जित धान/सी.एम. आर. चावल का स्टाक एवं बिल्स रिसीवेबल का हाइपोथिकेशन से किया जा सकेगा।

5. साख–सीमा सुविधा तथा इसके विरूद्व सिक्योरिटी हेतु मार्जिन राशि शून्य रहेगी।

6. प्रोसेसिंग एवं दस्तावेज शुल्क शून्य रहेगी। विपणन संघ द्वारा खरीफ वर्ष 2018–19 के लिए समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन माह नवम्बर, 2018 से माह जनवरी, 2019 तक किया जाना है। साख–सीमा से राशि का आहरण उपार्जित धान की मात्रा व आवश्यकतानुसार किया जावेगा।

7. स्वीकृत साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण पर दण्ड ब्याज अधिकतम 2% मान्य किया जावेगा। राज्य शासन द्वारा घोषित अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर भुगतान करने की स्थिति में कोई दण्ड ब्याज मान्य नहीं किया जावेगा।

8. प्रस्तावित की गयी ब्याज दर 03 माह के MCLR पर ही निर्धारित होनी चाहिये ।

9. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरें राज्य शासन की प्रत्याभूति के साथ तथा राज्य शासन की प्रत्याभूति के बिना दोनों रूप में दी जावें।

10. निविदाकर्ता बैंक की शाखा, रायपुर, छत्तीसगढ़ में होना अनिवार्य है।

11. साख–सीमा सुविधा स्वीकृति दिनांक से छः माह से 01 वर्ष की अवधि हेतु उपलब्ध करायी जावे। विपणन संघ द्वारा राशि की उपलब्धतता के आधार पर समय पूर्व भुगतान अथवा भुगतान हेतु निर्धारित समयावधि में वृद्धि, जैसी भी स्थिति हो, उपयोग किया जावेगा।

Scanned by CamScanner

12. प्रस्ताव स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 07 दिवस की सीमा में साख–सीमा सुविधा आहरण हेतु उपलब्ध कराना होगा।

13. साख–सीमा सुविधा के विरूद्ध वास्तविक आहरण की तिथि से ही ब्याज देय होगा।

14. ऋण पुनर्भुगतान हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व भी भुगतान किया जा सकेगा तथा समयावधि के पूर्व भुगतान करने पर विपणन संघ द्वारा कोई दांडिक ब्याज देय नहीं होगा, एवं भुगतान करने की तिथि तक ही वास्तविक ब्याज की राशि भुगतान की जा सकेगी। संघ पर किसी भी समय में बैंकों द्वारा स्वीकृत साख–सीमा का पूर्ण उपयोग किया जाना बाध्यकारी नहीं होंगा।

15. निविदा शर्तों के अनुरूप दिये गये ऑफर के विरूद्ध निर्धारित की गयी ब्याज दर में परिवर्तन सिर्फ MCLR परिवर्तन के स्थिति में ही हो सकेगा।

16. जिन बैंकों के ऑफर स्वीकृत किये जायेंगे, उन्हें अनुबंध पत्र में ऑफर शर्तो में उल्लेखित शर्तों को सम्मिलित कर तैयार किये गए अनुबंध पत्र में अनुबंध का निष्पादन 05 दिवस के भीतर करना होगा ।

17. विपणन संघ का वित्तीय वर्ष 2016–17 तक उपलब्ध अंकेक्षित वित्तीय पत्रक के आधार पर ही साख–सीमा/टर्म लोन ऋण उपलब्ध कराना होगा।

18. यदि सफल ऑफरकर्ताओं से संपूर्ण राशि की व्यवस्था नहीं हो पाती है और न्यूनतम से अधिक ब्याज दर ऑफर करने वाले अगले बैंकों से साख/ऋण लेने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी दशा में अगले बैंको से न्यूनतम ब्याज दर के समान अथवा उसके निकट दर पर ही साख/ऋण देने की सहमति दिये जाने हेतु निगोशियेशन बैठक में प्रस्ताव रखा जावेगा।

19. बैंको द्वारा प्राप्त ब्याज दर के आधार पर एवं आवश्यकतानुसार निगोशियेशन के पश्चात् प्रस्ताव पर निर्णय लिया जावेगा। प्राप्त प्रस्ताव को मान्य/अमान्य करने का अधिकार राज्य स्तरीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा ।

उपरोक्त साख–सीमा उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित शेड्यूल्ड कामर्शियल बैंकों की सूची 'A' एवं 'B' अनुसार)/वित्तीय संस्थान अपने लेटर हेड पर प्रस्ताव प्रत्येक संस्था हेतु पृथक–पृथक सील बंद लिफाफे में दिनांक 13.08.2018 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, छठवी मंजिल, टॉवर ''सी'' कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सी.बी.डी., सेक्टर – 21, नया रायपुर 492002 में जमा कर सकेंगे। विपणन संघ द्वारा उपस्थित बैंक/वित्तीय संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष निविदा 03:00 बजे खोला जावेगा।

संपर्क–
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, छठवी मंजिल, टॉवर "सी",
कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सी.बी.डी., सेक्टर – 21 नया रायपुर 492002
दूरभाष क्रमांक– 0771–2425426
ई–मेल –mf_ctrlroom_raipur@gov.in

27/7/18
(डॉ. अल्पना घोष)
वित्तीय नियंत्रक
सह मुख्यलेखाधिकारी

Scanned by CamScanner